शोध मंथन, Impact Factor 5.463 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
Vol. 9, Issue 4, pp (49-56), Month: Dec. 2018

पंचायत राज और महिलाएं

डा0 राकेश कुमार राणा,
असि0 प्रोफे0, समाज शास्त्र विभाग,
एम0एम0एच0 कालेज गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश।
Email: sanjeev83bhatia@gmail.com

सुनीता रानी
शोधार्थी
एम0एम0एच0 कालेज, गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश ।

सारांश

भारतीय संविधान और उसमें हो रहें संशोधनों से इस तथ्य को महसूस किया जा रहा है कि महिलाओं की स्थिति में परिर्वतन और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करके ही सही माइनें में राष्ट्र का विकास संम्भव है और यह संम्भव प्रयास 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है जिसमें महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान दिया गया। इस संशोधन के द्वारा जहा एक और पंचायती व्यवस्था को देश के लोकतांन्त्रिक प्रशासन के तृतीय सोपान के रूप में संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के अस्तित्व और अधिकार को भी स्वीकार किया।

अतः एक तिहाई आरक्षण से महिलाओं मे राजनैंतिक विचार धारा, राजनैंतिक सहभागिता, शिक्षा प्रशिक्षण, कला कौंशल, पारदर्शिता आदि से महिला प्रतिनिधि सामाजिक परिवेश में समानता के साथ पुरूषों के समकक्ष महत्व मिला है। पंचायती राज में महिलाओं 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था से महिलाएं राजनितिक रूप से भी सशक्त हुई हैं और उनकी निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास हुआ है। अतः पंचायत में महिलाओं की सहभागिता और बढाने के लिए कैबिनेट ने 110वें सविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत महिलाओं के लिए पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण कर दिया जायेगा। इस सविधान संशोधन के साथ ही महिला प्रतिनिधियों की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी। ऐसे कई राज्य हैं जहां पंचायत में महिला प्रतिनिधियों को 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हैं। महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देनें वाला सर्वप्रथम राज्य बिहार हैं। अतः महिला सहभागिता को बढानें के साथ ही शिक्षा व प्रशिक्षण द्वारा गांव विकास कार्य को भली भांति समझकर उनको पूरा करने की कोशिश करेगीं। उनके राह को आसान बनानें मे सरकार द्वारा महिला प्रतिनिधियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के माध्यम से देश भर मे इन कार्यक्रम की शुरूआत हुई है। जिनमें सडकों, नालों आदि के निर्माण, वित्तीय मामलों, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण और सामाजिक विकास आदि कार्यक्रम शामिल हैं। ताकि महिला प्रतिनिधि इन समस्याओं का सफलता पूर्वक समाधान कर सकें।

73वें संविधान संशोधन द्वारा एक तिहाई आरक्षण देकर सरकार ने ठहरे हुएं पानी में एक पत्थर फेंक देनें से जो हल चल पैदा की है उससे महिला सशक्तिकरण को मतबूती मिली। अब महिलाएं घूंघट की आदि न रहकर अपने अधिकारों और कत्वर्यों को पहचाननें लगी हैं।

महिला प्रतिनिधियों के पतियों द्वारा मनमानी ढंग से किसी भी कागज पर अगूंठा या हस्ताक्षर करवाने की स्थिति अब बदलती जा रही है। वे स्वयं के अधिकारों के प्रति सजग्र होकर राजनिति में उतर रही । उन्होनें शिक्षा के महत्व को भी समझा जिस कारण महिला साक्षरता दर 65 प्रतिशत हो गयी है। वे पंचायत के कार्यों में स्वयं निर्णय लेने लगी हैं।

लेकिन अभी भी महिला भागीदारी उतनी नही हैं जितनी होनी चाहिएं और शिक्षा का स्तर भी धीरे–धीरे बढ रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा भी योजनाओं को ठीक प्रकार से कियान्वित करने और जमीनी स्तर तक पहुंचानें मे महत्वपूर्ण कदम उठाने होगें और ग्रामीण महिला प्रतिनिधि स्वयं भी प्रयासरत होगी तभी महिला सशक्तिकरण को मतबूती मिलेगी।

प्रस्तावना

स्त्री का मानव की दृष्टि में ही नही वरन् संम्पूर्ण राष्ट्र में महत्तवपूर्ण स्थान है। उनके बिना किसी भी राष्ट्र के विकास की कल्पना नही की जा सकती। हमारे देश में आधी जनसंख्या महिलाओ की है अतः उन्हें राष्ट् निर्माण में पुरूषों के बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। किसी भी राष्ट् का विकास तब तक संम्भव नही है। जब तक वहां की महिलाएं विकसित नही होगी। महिलाओं के प्रति उपेक्षा भाव के लिए उनकी सदियों से दासता शोषण है जो उसे संस्कारों की जड बद्धता से बाधें रखते थे। वैदिक युग की ग्रामीण महिलाएं पुरूषों के समकक्ष थी। वह स्वतन्त्रता के साथ संम्पत्ति का भी अधिकार रखती थी। वें गृह स्वामिनी तो थी, किन्तु उनका कार्य क्षेत्र घरों के बाहर असाधारण विचारिका व पीडिता भी होती थी। धीरे धीरे उनकी स्थिति में परिवर्तन आया और पुरूषों के अहंकार ने उनको घर की चार दीवारी तक सीमित कर दिया। आधुनिक युग के आगमन तथा पाश्चात्य सभ्यता के प्रवेश के साथ ही महिलाओं के उत्थान के प्रयास होने लगे। महिलाओं को जागरूक बनाने व उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए संविधान का 73वां संशोधन इस क्षेत्र में उठाया गया एक ठोस कदम है। 73वां संविधान संशोधन एक एतिहासिक कदम इसलिए है क्योंकि इसमें न केवल पंचायतों को सवैंधानिक दर्जा देकर ग्रामीण विकास को सोपा साथ ही इन संस्थानों महिलाओं को एक तिहाई सीटे भी आरक्षित की गई।

इस प्रकार महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावाधान स्थानीय निकायों में करके महिलाओं का आर्थिक, राजनैतिक, मानसिक व सामाजिक एंव आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समाज व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की क्षमता का विकास व सृजन हो और अपना जीवन स्वाभिमान से जीना सीखें।

1992 में सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे पुर्नजीवित करने का प्रयास किया तथा यह अधिनियम 1993 मई से सुरू हुआ। महिलाओं को आरक्षण का मुद्दा 1985–1986 में उठा और उसी वर्ष केन्या के नैरोबी में एक राष्ट्रीय दस्तावेज पेश किया गया जिसमें महिलाओं के विकास का समुचित प्रबन्ध किया गया था। इस दस्तावेज को नेशनल

परस्पेक्टिव प्लान के नाम से जाना जाता है। भारत के इतिहास में यह पहला समय था जब स्थानीय स्वशासित संस्थाओं में 1/3 स्थान महिलाओं को आरक्षित किये गयें। यह संविधान संशोधन बलवंत मेहता समिति 1957 और अशोक मेहता समिति 1978 की सिफारिस थी कि निर्वाचित प्रतिनिधि तक ही शक्ति सीमित नही होनी चाहिए। इस सीमिति की सिफारिशों के आधर पर सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की। संविधान के अनुच्छेद 15 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नही किया जा सकता। अनुच्छेंद 15 के भाग 3 में महिलाओं व बच्चों के लिए राज्य को विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति दी गई हैं।

पंचायत राज व्यवस्था में आरक्षण के फलस्वरूप ग्रामीण महिलाएं सामाजिक बन्धना को तोडकर आगे तो आई किन्तु अभी भी वे ग्रामीण क्षेत्रों में पुरूषों के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। कोटा (राजस्थान) से महिला प्रत्याशी घरेलू काम–काज, पुरूषों के डर से पंचायत की गति विधियों से दूर रहती थी। कई गांव में महिला सरपंच थी परन्तु सरपंच का पद उसके परिवार के पुरूषों के पास होता था। पंचायत के सभी कार्य उनके पति या भाई भतीजे द्वारा होते थे इस कारण महिला प्रत्याशी उन सभी पंचायत की योजनाओं से वाकिफ नही थी। इस कारण सरकार द्वारा योजना का संचालन करने पर भी वो इन योजनाओं को न तो समझ ही पाती थी और न ही उन्हें सही ढंग से ग्रामीण लोगों को लाभान्वित कर पाती। जिसका कारण महिला प्रतिनिधियों की राजनैतिक जागरूकता का अभाव, उनकी अज्ञानता, इच्छा शक्ति, सामूहिक प्रयास, शिक्षा, प्रशिक्षण का अभाव और पुरूष वर्चस्व रहे हैं।

अतः महिला सशक्तिकरण के सारे स्वप्न ध्वस्त होते हुए प्रतीत दिख रहे थे अतः सरकार भी इस स्थिति से चिन्तित थी कि महिला आरक्षण देकर भी राजनिति में महिलाओं की भागीदारी के नाम मात्र से वह राजनिति में सशक्त नही हो सकती। उल्टा पंचायत में महिला सरपंच के अधिकार तो उनके परिवार के पुरूष प्रधान लोगों के हाथ में हैं अतः महिला प्रतिनिधि की सही माइने में राजनैतिक भागीदारी हो, यह समस्या केवल उत्तर प्रदेश में ही नही पूरे भारत में विद्यमान है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने शासनादेश संख्या 879/33–1–127/98 दिनांक 10 मार्च 1998 जो सचिव पंचायती राज द्वारा समस्त मंडलायुक्तो एंव जिलाधिकारियों को भेजा गया। उसमें उल्लेख किया गया कि ''शासन के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आये है कि पंचायती राज विभाग की त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तथा जिला पंचायतों में जो 33 प्रतिशत आरक्षण के फलस्वरूप महिला सदस्य निर्वाचित होकर आई है, उनके कार्यों का संचालन उनके पति एंव उनके परिवारजनों द्वारा किया जा रहा है तथा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों की बैठको में महिला सदस्यों द्वारा भाग नही लिया जा रहा है एंव पति ओर संम्बन्धियों द्धारा उनके फर्जी हस्ताक्षर उनके नामों के नीचे कर दिये जाते हैं''।

इसी क्रम में शासनादेश में यह निर्देश दिया गया। ''महिला निर्वाचित पदाधिकारियों के कार्यालयों में उनके संम्बधी कदापि प्रवेश नही करेगें और वह अपने विवेक से कार्य करेगीं और यदि अपरिहार्य कारणवश उन्हें आना भी पडे तो एक रजिस्टर में उनका नाम तथा आने का कारण

अंकित किया जाये'' और निश्चत ही स्थिति काफी गंम्भीर हो गई थी तभी तो उत्तर प्रदेश सरकार को इस तरह का शासनादेश जारी करना पडा। लगभग डेढ वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। इसका प्रभाव थोडा बहुत तो जरूर पडा। लेकिन धीरे–धीरे स्थिति बदली और महिला प्रतिनिधि जो पुरूषों के हाथ की कठपुतली बनी हुई थी। अब वे आगे बढकर आयी और अपने महिला सशक्तिकरण के स्वपन को पूरा करने के लिये इच्छा शक्ति को जगाया साथ ही सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाये गये जो महिला प्रत्याशी को पुरूषवादी मानसिकता से बाहर निकाल सके सरकार द्वारा पंचायत में महिला भगीदारी 33 प्रतिशत से बढाकर 50 प्रतिशत करने से महिलाओं को सशक्त करने की प्रक्रिया को और मजबूत करेगी। ऐसे कई राज्य हैं जहा पंचायत में 50 प्रतिशत का प्रावाधान है। पंचायती राज में महिला सहभागिता के बढने के साथ सामाजिक–पारिवारिक परिवेश तथा परिस्थितियों से महिला नेतृत्व की स्थिति स्पष्ट होती है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के माध्यम से महिला राजनैतिक जागृति और प्रशासनिक क्षमताओं का विकास होने लगा है।

ग्रामीण नेतृत्व की श्रेणी में 30 से 45 वर्ष की ज्यादातर महिला निर्वाचित होकर काम कर रही है। गांव नये भारत के नये बाजार के रूप में उभर रहे हैं। समाज में महिलाओं के निर्णय लेने संबधी भूमिका को बढावा देने के लिए समानता संबधी नितियो के लिये व्यापक मायने हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 243घ (3) में यह प्रावाधान है कि महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों की संख्या के एक–तिहाई से कम नही होगी। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 243घ (4) में यह प्रावाधन है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कुल पदों की एक तिहाई से अनाधिक पद महिलाओं के लिये आरक्षित होगें स्थानीय शासन स्तर पर महिलाओं का प्रयाप्त प्रतिनिधित्व रहा है किन्तु यह राज्य दर राज्य भिन्न है। दिसम्बर, 2017 तक पंचायती राज संस्थाओ में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियो की संख्या 13•72 लाख है जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियो का 44•2 बैठती है। देश भर में कुल ग्राम पंचायतो में 43 प्रतिशत महिला सरपंच होना स्थानीय शासन में महिलाओं के सक्रिय नेतृत्व को दर्शाता हैं।

आकडें बताते हैं और वास्तविकता भी यह हैं कि आप पहले के मुकाबले राजनिति में काफी संख्या में महिलाएं आ रही हैं और सौभाग्य से वें सफल भी हो रही हैं। आज की महिला राजनितिज्ञ अपनी राजनितिक कुशलता व सूझबूझ के मामले में किसी से कम भी नही हैं। लेकिन उनकी संख्या अपेक्षित स्तर पर नही हैं। बहुत सी युवतियां राजनिति की डगर पर चलने का प्रयास करती हैं। लेकिन चुनावी राजनिति के मकडजाल से घबरा कर वें वापस गैंर–राजनितिक क्षेत्रों में चली जाती हैं। यहीं कारण है कि महिला राष्ट्रीय स्तर तर आपेक्षित संख्या में सत्ता में भागीदारी नही कर पा रहीं हैं। इसके कुछ तो प्राकृतिक व कुछ मानवनिर्मित कारण हैं। राजनिति में अपनी जगह बनाने की महत्तवकांक्षा रखने वाली महिलाओं के सामने कई ऐसी समस्याएं भी होती हैं जिनका सामना उन्हें सिर्फ इसलिए करना होता है कि वह 'महिला' हैं।

नेतृत्व की क्षमता के साथ ही पंचायत में महिलाओं ने शिक्षा को भी नये आयाम दिये हैं। गांव व देहातों में यह आम मान्यता है कि लडकी को पढा लिखा कर क्या करेगें उसे तो एक

दिन शादी होकर दूसरे के घर जाना हैं। वहां भी उनके उत्तराधिकारी को जन्म देकर बच्चों का पालन पोषण करना ओर घर के काम काज ही करने हैं अतः उनको पढाकर उनकी शिक्षा पर धन व्यय करके क्या फायदा है। इस तरह की मानसिकता जो गांव देहातों में फैली है इसके जिम्मेंदार वे स्वयं नही हैं बल्कि इस तरह की फैली मानसिकता है जिसका कारण अशिक्षा हैं आज भारतीय महिलाओ की औपचारिक व परम्परागत शिक्षा की उम्मीद करना बेईमानी हैं। यही कारण है कि वें अपने दायित्व और कर्त्तव्य को निभाने में अक्षम रही है लेकिन बदलते परिवेश व शिक्षा के आयाम में परिर्वतन से काफी बदलाव आये हंै ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर बढी हैं। साथ ही शिक्षा के स्तर को बढानें व उसकी कमियों को दूर करके 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिला प्रतिनिधित्व के राजनैतिक सहभागिता से महिला सशक्तिकरण की राह आसान हुई हैं। जो लोग पुरूषवादी मानसिकता से ग्रस्त यह तर्क दिया करते थे कि निरक्षर महिला प्रधान अपने दायित्व नही निभा पायेगी। आज वही निरक्षर महिलाएं चूल्हे चौके की दुनिया तक सीमित न रहकर खुद को नयी भूमिका में साबित कर रही हैं। यह कार्य आसान नहीं था। न ही ये महिला सरपंच पढी लिखी थी लेकिन धीरे–धीरे अपने दायित्व को समझा और सिर पर जिम्मेंदारीयों का बोझ बढा तो धीरे–धीरे काम करने का तरीका भी आ गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा बिहार में पंचायती राज तथा शिक्षक नियमावली, 2006 में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जबकि बिहार राज्य में निरक्षरता दर सबसे अधिक, सघन घनी आबादी और कुल प्रजनन दर अधिकतम वाले समस्या ग्रस्त राज्य में 8500 पंचायतों में 45,000 से भी अधिक महिलायें चुनाव जीती हैं। यह अपने आप में एक उदाहरण रहा हैं कि निरक्षक महिला राजनैतिक सहभागिता और अपने दायित्व इस प्रकार निभाती है। वैसे तो विधान सभा व लोक सभा के जो लोग चुनाव जीते हैं सारे स्नातकोत्तर, विधानिधि (एम फिल), विधावारिधि (पीएच डी) तो नही होते पर मंत्री बनने के बाद धीरे–धीरे काम करने सीख ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से ज्ञानी नही होता। धीरे–धीरे सामाजिक परिवेश में ढलकर ही वह प्रशिक्षण प्राप्त करके कुशल बनता है। यही कदम 73वें संविधान संशोधन द्वारा 33 प्रतिशत महिला आरक्षण देकर सदियों से वंचित व राजनैतिक क्षेत्र में हाशिये पर पडी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया।

अतः सरकार के इस एतिहासिक कदम से महिलाएं सशक्तिकरण के क्षेत्र में सशक्त होती जा रही हैं। ग्रामीण महिलायें भी सशक्तिकरण की राह को आगे बढाने का भरसक प्रयास कर रही हैं। इस राह में महिला जन प्रतिनिधि स्वयं तो निरक्षर हैं परन्तु वे नही चाहती कि उनके गांव में कोई भी व्यक्ति विशेषकर महिला व बालिकाएं अशिक्षित रहे। परिणाम यह हुआ कि गांव के स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन बढा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि ग्रामीण महिलाएं अपनी बच्चियों को स्कूल भेज रही हैं इस प्रकार इन महिलाओं के समान अन्य जन पंचायतों के जन प्रतिनिध भी ऐसा ही प्रयास करे तो शिक्षा के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और गांव का विकास निश्चित है।

साथ ही महिला सहभागिता द्वारा बुनियादी समस्याओं को प्रशिक्षण के माध्यम से उनका निदान कर सकती हैं। कोई भी शिक्षित व्यक्ति चाहे वह सरकारी या गैर सरकारी सेवा में है सभी को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह अपने कार्य भली प्रकार कर सके। फिर अशिक्षित व कम पढी लिखी महिलाओं से यह कैसी अपेक्षा की जा सकती है कि बिना प्रशिक्षण के पंचायत के कार्य सही ढंग से निभा पायेगीं।

राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसके लिए किसी विशेष डिग्री की जरूरत नही पडती और यदि प्रतिनिधि शिक्षित हो तो कार्य ओर भी आसान हो जाता है। गांव विकास के कार्य को भली भांती कर सकती है और कर भी रही है। ये अपने विवेक, समझ और कौशल से ही गांव को सरल और मजबूत बना सकती है। देश में यह महसूस किया जाने लगा था कि 33 प्रतिशत आरक्षण के बावजूद महिला कोई कारगर भूमिका नही निभा पा रही है। इसका वास्तविक कारण अशिक्षा के साथ प्रशिक्षण भी था। जिस कारण उनमें प्रशासन की जानकारी और पर्याप्त कौशल नही होता था। क्योंकि सरपंच अथवा पंचायत प्रतिनिधियों की दृष्टि में भी प्रशिक्षण का स्थान काफी नीचे रहा है। उनकी प्रथमिकताओं में और अधिक अधिकारों की प्राप्ति तथा बजट की उपलब्धता ही प्रमुख रहे हैं। एक या दो लोगों को छोडकर किसी ने भी प्रशिक्षण का मुद्दा उठाया ही नही। साथ ही पंचायतों के अध्ययन के समय यह तो समझ में आ गया कि सैंद्धान्तिक रूप से प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। प्राथमिकता को स्वीकार किया गया। परन्तु व्यवाहरिक स्तर पर सरकार की ओर से कोई समुचित व्यवस्था नही की गई।

इसी कदम में महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से 17 अप्रैल, 2017 को महिला पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता के निर्माण और महिला पंचायत नेताओं के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे एक विस्तृत माडल शुरू किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य गांव के शासन और प्रशासन के क्षेत्र में पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता, दक्षता और कौशल का विकास करके उन्हे अधिकार सम्पन्न बनाना है।

पंचायतों की निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रशिक्षण क्षेत्रः महिला और बाल विकास विभाग ने समाज के सबसे निचले स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में महिला सरपंचों तथा अन्य महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के इस देशव्यापी कार्यक्रम की शुरूआत की है। इन क्षेत्रों में इंजीनियरी (सडकों, नालों, शौचालयों आदि के निर्माण), वित्तीय मामलों, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आदि शामिल हैं। इस प्रशिक्षण से महिला सरपंचों को आम आदमी, खासतौर पर उपेक्षित और विपदाग्रस्त लोगों के लाभ की योजनाओं और कार्यक्रमों पर अमल करने में मदद मिलेगीं। इन योजनाओं में फसल बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृत्व लाभ योजना आदि शामिल हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन महिलाओं को नेतृत्व के अगले पायदान तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

आरक्षण के बाद पंचायतों में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। अभी चाहे यह 33 प्रतिशत ही हो, जल्द ही 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया हैं। परन्तु यह एक अच्छी शुरूआत

है। महिलाओं को पंचायतों के काम–काज की जानकारियां कम हैं क्योंकि पहले अवसर नहीं मिलता था जब उन्हें कानून के द्वारा अवसर मिला है तो कामकाज में उनकी भागीदारी बढ़ी। सभी लोगों के सहयोग से काम करेंगी तो गांव के विकास में तेजी आयेगी।

पंचायतों में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी न बढने के कुछ निम्नलिखित कारण हैंः–

समस्याएं –

(1) गांवों में स्वास्थ्य संम्बन्धित सुविधाओं का अभाव भी महिला सहभागिता को प्रभावित करता हैं।

(2) ग्राम पंचायतों के पास समुचित प्रशासनिक वित्तीय अधिकारों का अभाव होता हैं। जिससे वह विकास कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नही निभा पाती हैं।

(3) पंचायत की कार्य प्रणालियों में भ्रष्टाचार भी ग्रामीण विकास कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

(4) ग्रामीण महिला प्रतिनिधियों में आत्मविश्वास की कमी के साथ प्रशासन की जानकारियों का अभाव भी देखा जाता हैं।

पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी को बढानें के लिए निम्न उपाय किये जा सकतें हैं।

सुझाव –

(1) विकास की गतिविधियों में भाग लेने के लिए महिलाओं को जागृत करना।

(2)महिला प्रशिक्षण प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण शिविरों के द्वारा राजनितिक क्रियाओं के संचालन हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(3) चुनाव में मतदाताओं के लिए स्वतंत्रता तथा निर्भय मतदान की व्यवस्था करना।

(4) पंचायती राज में आरक्षण के साथ ही महिलाओं के लिए एक निश्चित स्तर की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिएं ।

(5) पंचायती राज की राजनिति में महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ करने हेतु राज्य सरकार को उनके द्वारा अधिक से अधिक कार्य करवाये जाने चाहिएं।

(6)पंचायती राज में आरक्षण के साथ ही महिलाओं के लिए एक निश्चित स्तर की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए।

(7)महिला प्रशिक्षण प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण शिविरों के द्वारा राजनितिक क्रियाओं के संचालन हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(8)पंचायत की बैंठक में बिना उनकी अनुपस्थिति के किसी भी प्रकार की कार्यवाही को आगे नही बढाना चाहिए।

(9)महिलाओं को उनकी आम भाषा में संम्बन्धित मुददों को समझानें के साथ उनसे समस्या पर विचार विमर्श भी करना चाहिएं

अब देखा यह जायेगा कि सरकार द्वारा कियें जा रहें विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं द्वारा ग्रामीण महिला प्रतिनिधियों की सशक्तिकरण की राह और कितनी आसान होगी।

सन्दर्भ

1. डा. शर्मा श्री नाथ, डा. सिंह मनोज कुमार– *''पंचायत राज एंव ग्रामीण''* पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिताः पृ0 संख्या **112 से 113**
2. सिंह, मिनाक्षीं–*''महिला कानून''* राजनैतिक अधिकार और कानून पृ0 संख्या **226 से 227**
3. प्रो शर्मा लालबहादुर– *''संविधान और महिला अधिकार''* भारतीय संविधान की आत्मा 4 पृ0 संख्या **29 से 30**
5. पंडेलिया, मुन्नी– *''भारत में पंचायती राज व्यवस्था''* राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिताः दशा और दिशा पृ संख्या **52**
6. प्राण, चन्द्र शेखर–*''पंचायत और गांव समाज पुनर्जागरण की राह''* नये पंचायती राज की जमीनी सच्चाई, उत्तर प्रदेश पृ0 संख्या **94 से 95**
7. 'निशीथ' शर्मा राकेश–*''पंचायती राज तब और अब''* पंचायतीराज संस्थाएं और महिलाएं, पृ0 संख्या **186**
8. सुब्रह्मण्य, अरविन्द–*आर्थिक समीक्षा 2016–2017(भारत सरकार, वित्त मंत्रालय)*
9. *सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास* अध्याय 8, पृ संख्या **160**
10. सिंह, मिनाक्षीं– *''महिला कानून''* राजनैतिक अधिकार और कानून पृ0 संख्या **235 से 237**
11. डा., चौधरी कृष्ण चंद्र– *''पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी,''* ''कुरूक्षेत्र अंक 9, माह जुलाई 2018, (भारत सरकार,नई दिल्ली) पृ संख्या **40 से 41**
12. प्राण, चन्द्र शेखर– *''पंचायत और गांव समाज पुनर्जागरण की राह''* नये पंचायती राज की जमीनी सच्चाई, राजस्थान पृ0 संख्या **167**
13. झां, सिद्धार्थ–*''महिलायें औंर पंचायतें''* कुरूक्षेंत्र पत्रिका माह जनवरी 2018, (भारत सरकार, नई दिल्ली) पृ संख्या **36**
14. देवपुरा, प्रतापमलः *''ग्रामीण विकास का आधार आत्मनिर्भर और पंचायतें''* मानव अधिकारों की रक्षा और पंचायतों का दायित्व पृ0 संख्या **36**